झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा

पंचदश् (बजट) सत्र

वर्ग–06

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न,शनिवार, दिनांक :– 12 फाल्गुन, 1945 (श0) ..... को 02 मार्च, 2024 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेगें :–

क्रमांक	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
146.	पेय–07	श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की	योजना को शीघ्र पूर्ण करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	22.02.24
147.	जा–01	श्री कोचे मुण्डा	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	18.02.24
148.	पेय–05	श्री अमित कुमार यादव	उच्चस्तरीय जाँच एवं कार्रवाई करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	21.02.24
149.	जा–07	श्री अमित कुमार यादव	पावर सब–स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	21.02.24
150.	ख–07	श्री अमित कुमार मंडल	कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	23.02.24
151.	जा–13	श्री रामचन्द्र सिंह	200 के0भी0ए0 का ट्रांसफॉर्मर लगाना।	ऊर्जा	23.02.24
152.	ख–08	श्री ढुलू महतो	खनन् कंपनियों द्वारा विकास को सख्ती से कराना।	खान एवं भूतत्व	23.02.24
153.	ख–04	श्री भानु प्रताप शाही	डोलामाईट खदान चालू कराना।	खान एवं भूतत्व	19.02.24
154.	जा–09	श्री केदार हजरा	सब–स्टेशन का निर्माण कराना।	ऊर्जा	21.02.24
155.	जा–02	डॉ0 इरफान अंसारी	सब–स्टेशन का निर्माण कराना।	ऊर्जा	19.02.24
156.	ख–06	श्री कमलेश कुमार सिंह	बालू सुलभ उपलब्ध कराना।	खान एवं भूतत्व	19.02.24

01	02	03	04	05	06
157.	पेय-06	श्रीमती सुनिता चौधरी	दोषी संवेदक एवं पदाधिकारी पर कार्रवाई करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	21.02.24
158.	जा-10	श्री विकास कुमार मुंडा	ट्रांसफॉर्मर लगाना।	ऊर्जा	22.02.24
159.	पेय-08	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	जलापूर्ति व पेयजल की व्यवस्था कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.24
160.	जा-05	डॉ0 लम्बोदर महतो	विद्युत आपूर्ति कराना।	ऊर्जा	21.02.24
161.	जा-16	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	पुराना तार बदलकर नया तार लगाना।	ऊर्जा	24.02.24
162.	ख-03	श्री भानु प्रताप शाही	खदान चालू कराना।	खान एवं भूतत्व	19.02.24
163.	जा-14	श्री रामचन्द्र सिंह	विभागीय कार्रवाई करना।	ऊर्जा	23.02.24
164.	जा-12	श्री मथुरा प्रसाद महतो	मुआवजा राशि उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	23.02.24
165.	जा-15	श्री ढुलू महतो	विद्युत आपूर्ति कराना।	ऊर्जा	23.02.24
166.	पेय-02	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	19.02.24
167.	जा-11	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	बिजली कनेक्शन जोड़ना।	ऊर्जा	22.02.24
168.	पेय-01	श्री विनोद कुमार सिंह	कार्रवाई करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	18.02.24
169.	पेय-03	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	जलापूर्ति कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	21.02.24
170.	पेय-04	श्री निरल पुरती	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	21.02.24
171.	जा-04	श्री राजेश कच्छप	विद्युत पोल एवं तार बदलना।	ऊर्जा	19.02.24
172.	ख-01	श्री विनोद कुमार सिंह	बालू उठाव की व्यवस्था करना।	खान एवं भूतत्व	18.02.24
173.	ख-02	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	पथ निर्माण कराना।	खान एवं भूतत्व	19.02.24
174.	जा-08	श्रीमती सुनिता चौधरी	विद्युत आपूर्ति कराना।	ऊर्जा	21.02.24
175.	जा-03	श्री कमलेश कुमार सिंह	बिजली सप्लाई का निर्देश देना।	ऊर्जा	19.02.24
176.	ख-05	डॉ0 इरफान अंसारी	कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	19.02.24
177.	जा-06	सुश्री अम्बा प्रसाद	मुफ्त बिजली देना।	ऊर्जा	21.02.24

राँची,
दिनांक- 02/03/2024 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ030...../-

ज्ञाप संख्याः– प्रश्न–14/2023–...293/........../वि0स0,राँची,दिनांक– 26/02/24

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रवि 26.02.24

(रवि शंकर प्रसाद)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः– प्रश्न–14/2023–...293/........../वि0स0,राँची,दिनांक– 26/02/24

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के संयुक्त सचिव/ आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः **माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय** के सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 26.02.24

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः– प्रश्न–14/2023–...293/........../वि0स0,राँची,दिनांक– 26/02/24

प्रतिलिपिः– कार्यवाही शाखा/ बेवसाईट शाखा/ J.V.S TV/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 26.02.24

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/–

26.02.24

(146)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 07 का उत्तर :–

<table>
<tr><th colspan="2">मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</th><th>श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य के 61 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत् वर्ष 2024 तक घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि माण्डर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत माण्डर, बेड़ो, ईटकी, चान्हो एवं लापुंग प्रखण्ड के जिन पंचायतों में आज से दो वर्ष पूर्व भी जल जीवन मिशन योजना का शिलान्यास किया गया वहाँ भी आजतक घरों में जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है;</td><td>माण्डर विधान सभा क्षेत्र में 02 वर्ष पूर्व जल जीवन मिशन अन्तर्गत शिलान्यास की गई योजनाओं का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र०</th><th rowspan="2">प्रखण्ड</th><th rowspan="2">कुल SVS की संख्या</th><th colspan="2">FHTC</th></tr>
<tr><th>लक्ष्य</th><th>उपलब्धि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>माण्डर</td><td>12</td><td>4069</td><td>4069</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>चान्हो</td><td>03</td><td>558</td><td>558</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बेड़ो</td><td>02</td><td>317</td><td>317</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>लापुंग</td><td>08</td><td>1095</td><td>1010</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ईटकी</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
शेष कार्य दिसम्बर– 2024 तक पूर्ण कर ली जायेगी।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार जल जीवन मिशन योजना को शीघ्र पूरा करने विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?</td><td>कंडिका– 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–07/2024– 528 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2824, दिनांक– 22.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–07/2024– 528 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(147)

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखण्ड में बांकी पंचायत के ग्राम–कम्पुदा, डोंगी झरिया, कुचईबेड़ा, बड़का डोईल पंचायत के ग्राम–तारो, कोनसोदे, बनटोली, कर्राजर्रा एवं ग्राम पंचायत–कानारोआं के बड़मदा खास, कानारोआं लाईन टोली में विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। (बड़का डोईल पंचायत के ग्राम-कोनसोदे एवं बनटोली, में विद्युतकीरण का कार्य पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।)
2. क्या यह बात सही है कि विद्युतीकरण नहीं होने के कारण आमजनों को जीवन यापन करने में काफी कठिनाई हो रही है तथा छात्र–छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर विद्युतीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	आगामी परियोजना "मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना" के तहत अविद्युतीकृत ग्रामों एवं टोलों में वित्तीय वर्ष 2024–25 में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर विद्युत बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 463 /

दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

148

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 05 का उत्तर :–

मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत दारू प्रखण्ड ग्राम–मेढ़कुरी, कोविलासी एवं पुनाई में तथा बरकट्ठा प्रखण्ड के चेचकपी, झुरझुरी, कोनहरा, बरकट्ठा उत्तरी, बरकट्ठा दक्षिणी बेलकपी, शिलाडीह, गोरहर, सलैया, जयपहाड़ी आदि गाँवों/पंचायतों में जल नल योजना के तहत शुद्ध पेयजलापूर्ति हेतु पाईप लाइन, बोरिंग, पानी टंकी निर्माण आदि कार्य किये जा रहे हैं ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थानों/गाँवों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और निर्माण कार्य भी अत्यंत घटिया हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला अंतर्गत प्रश्न कंडिका– 1 में वर्णित स्थानों/गाँवों में विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत क्रियान्वित योजनाओं का कार्य निरीक्षण विभागीय अभियंताओं एवं TPI के द्वारा समय–समय पर किया जाता है। योजनाओं में उपयोग होने वाले सामग्रियों का सत्यापन TPI द्वारा करने के पश्चात ही प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी जाँच टीम का गठन कर योजनाओं की गुणवत्ता की जाँच की जाती है। सभी योजनाओं का निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुसार मानक के अनुरूप कराया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि निर्माण कार्य घटिया होने से ये योजनायें धरातल पर जनहित में ज्यादा दिन तक उपयोगी नहीं हो पाएगी;	अस्वीकारात्मक। कंडिका– 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उपरोक्त निर्माणाधीन योजनाओं की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारी/संवेदक को दंडित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–05/2024– 523 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2263, दिनांक– 21.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–05/2024– 523 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

149

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड के तुर्कबाद एवं बेड़ोकला में पवार सब–स्टेशन निर्माण की स्वीकृति वर्ष–2019 में दी गई, परन्तु निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उपरोक्त दोनों स्थानों पर पावर सब–स्टेशन का निर्माण कार्य अविलम्ब कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड के तुर्कबाद एवं बेरोकला में पावर सब–स्टेशन निर्माण प्रस्तावित था। पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण पावर स्टेशन नहीं बन पाया। इसी दौरान DDUGJY अंतर्गत चलकुशा प्रखंड में पावर सब–स्टेशन का निर्माण करा लिया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में बरकट्ठा पावर सब–स्टेशन में चलकुशा एवं बरकट्ठा दोनों प्रखंडों को विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। वर्तमान में तुर्कबाद में 01 MVA एवं बेड़ोकला में भी 01 MVA लोड की जरूरत है तथा वर्तमान में बरकट्ठा पावर सब–स्टेशन (2x5MVA) के माध्यम से तुर्कबाद एवं बेरोकला के उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 157 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(150)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–07

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा विधानसभा अन्तर्गत प्रखंड बसंतराय एवं प्रखंड पथरगामा के पंचायत डेरमा एवं विषाहा को बालू उत्खनन हेतु पंचायतों को अधिकृत किया गया है;	गोड्डा जिला के लिए बालू खनिज का अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार Category- 1 के कुल 24 बालूघाट चिन्हित हैं, जिसमें गोड्डा विधान सभा क्षेत्र के **बसंतराय प्रखण्ड में सनौर बालूघाट एवं हिलावे बालूघाट तथा पथरगामा प्रखण्ड में बरियाठा बालूघाट** अवस्थित है। Category- 1 बालूघाटों के संचालन हेतु उपायुक्त, गोड्डा का आदेश ज्ञापांक 1322/एम0, दिनांक 14.11.2023 के अनुसार पंचायत स्तरीय समिति द्वारा उक्त आदेश के सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए बालूघाटों का संचालन किया जाना है।
2.	क्या यह बात सही है कि विषाहा पंचायत से बालू उठाव ना कराकर कोरका पंचायत से अवैध तरीके से बालू उठाव होता है साथ ही फर्जी चालान विषाहा पंचायत से निर्गत कराकर अन्य स्थानों से बालू का अवैध उत्खनन जारी है;	जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदनानुसार क्षेत्रीय भ्रमण/निरीक्षण के क्रम में पथरगामा प्रखण्ड अन्तर्गत विषाहा पंचायत के बरियाठा बालूघाट के चालान पर किसी अन्य बालूघाट से बालू का प्रेषण करते नहीं पाया गया।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड (दो) में वर्णित मामलों की शिकायत उपायुक्त कार्यालय को ग्रामीण द्वारा की गई थी, जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है;	सुश्री/श्रीमती संजीता कुमारी, वार्ड सदस्य, वार्ड नं0–01, ग्राम पंचायत विसाहा एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित आवेदन की प्रतिलिपि **दिनांक–16.02.2024** को जिला खनन कार्यालय, गोड्डा को एवं दिनांक–21.02.2024 को खान निदेशालय, झारखण्ड को प्राप्त हुई है जिसमें **''मौजा–बरियाठा, पंचायत–बिसाहा, प्रखण्ड–पथरगामा, जिला– गोड्डा में स्थित बालूघाट से जबरन बालू का उठाव करना तथा अन्यत्र किये बालू का उठाव बरियाठा बालूघाट से गलत रूप में उठाव का चालान काटना एवं ग्रामीणों को प्रशांसनिक दबाव बनाने''** संबंधी शिकायत का उल्लेख है। खान निदेशालय द्वारा उपरोक्त शिकायत के बावत कार्रवाई हेतु सक्षम पदाधिकारी को निदेश निर्गत किया गया है एवं उपायुक्त, गोड्डा द्वारा उपरोक्त शिकायत की जॉच हेतु एक कमिटी का गठन किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायतों को अवैध चालान निर्गत करने एवं अवैध बालू उत्खनन में संलिप्त पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हॉं, तो कबतक, नही तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(तारा0)–19/2024 417 /एम०, राँची, दिनांकः– 01.03.2024

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2870 दिनांक–23.02.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका विधानसभा क्षेत्र के पड़ने वाले सभी प्रखंडों मे वर्ष 2005 में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत सुदूर ग्रामों में विद्युतीकरण के तहत 10 के०भी०ए० / 25 के०भी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाया गया था जो वर्तमान में अधिकतया कनेक्सन एवं लोड के कारण जल गया है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** वर्ष 2005 में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत सूदूरवर्ती क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य करते हुए 10/16 के०भी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जिसे वर्ष 2017 से 2021 के बीच वृहत पैमाने पर DDUGJY के तहत 10/16 के०भी०ए० के बदले 25 के०भी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाया गया है।
2. क्या यह बात सही है, कि मनिका विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में भी वर्तमान में बढ़ते लोड के कारण आवश्यकतानुसार 100 के०भी0ए0/ 200 के०भी0ए0 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** वर्तमान में मनिका विधानसभा के शहरी क्षेत्रों में कुल 19 अदद् 200 के०भी०ए०, 28 अदद् 100 के०भी०ए० एवं 06 अदद् 63 के०भी०ए० ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित है। सतत प्रक्रिया के तहत शहरी क्षेत्रों में भार के अनुसार उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को अधिष्ठापित किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनिका विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 के0भी0ए0 एवं 25 के0भी0ए0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0भी0ए0 / 100 के0भी0ए0 का ट्रांसफार्मर एवं शहरी क्षेत्रों में 200 के0भी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग द्वारा जले 10/16 के0भी0ए0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर DDUGJY के तहत 25 के0भी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाया गया था। वर्तमान में मनिका विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 07 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों के माध्यम से लगभग 11–12 एम0भी0ए0 का विद्युत भार है तथा भार के अनुसार सतत प्रक्रिया के तहत शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने ट्रांसफार्मर को उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर से बदला जाता है एवं वर्तमान में भण्डार में ट्रांसफार्मर उपलब्ध है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 460 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(152)

श्री दुलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2024 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख–08

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में अधिकतया खनन् आधारित उद्योग है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कोल वियरिंग एरिया एक्ट के तहत खनन क्षेत्र के आस–पास के इलाकों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित कंपनियों को है;	कोल वियरिंग एरिया एक्ट के तहत खनन क्षेत्र के आस–पास के इलाकों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में खनन् कार्य कर रही खनन् कंपनियाँ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, टाटा स्टील, सेल अपने लीज होल्ड क्षेत्र के विकास में भेदभाव बरत रही है;	अस्वीकारात्मक। प्राप्त सूचना अनुसार विभिन्न कोल कंपनियों द्वारा खनन क्षेत्र अंतर्गत तथा आस–पास के क्षेत्रों में CSR के तहत विभिन्न कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खनन् कंपनियों से लीज होल्ड क्षेत्र विकास को सख्ती से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(तारांकित)–20 / 2024 424 /एम०, राँची, दिनांक:– 01/03/2024

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2871 दिनांक–23.02.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/2024
सरकार के संयुक्त सचिव

(153)

श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख–04

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के श्री बंशीधर नगर में तुलसी दामर डोलामाईट खदान अवस्थित है;	उत्तर स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि तुलसी दामर डोलामाईट खदान दिनांक–16 फरवरी 2020 से बंद है जहाँ पत्थर तोड़ने वाले हजारो मजदूर आज भूखमरी, पलायन, आर्थिक तंगी एवं बेराजगारी के दंश झेल रहे हैं;	खण्ड क'' स्वीकारात्मक। गढ़वा जिलान्तर्गत श्री वंशीधर नगर उंटारी, अंचल के मौजा–तुलसीदामर एवं जंगीपुर अन्तर्गत डोलोमाईट खनिज के खनन पट्टा की अवधि दिनांक–31.03.2020 को समाप्त हो चुकी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब तुलसी दामर डोलामाईट खदान को मजदूरों के हित में चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भारत सरकार के उपक्रम (SAIL) एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा धारित लघु खनिज के खनन पट्टों के अवधि विस्तार संबंधी प्राप्त आवेदन/अनुरोध के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई The Jharkhand Minor Minerals (Mining by Government Company) Rules के तहत किया जाना है तथा उपरोक्त नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(तारा0)–05/2024 414 /एम०, राँची, दिनांकः– 01.03.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2684 दिनांक–19.02.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

154

श्री केदार हाजरा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–09 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री केदार हाजरा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ विधान सभा क्षेत्र के जमुआ प्रखण्ड अंतर्गत झारखण्ड धाम में पावर सब स्टेशन के निर्माण की सहमति सरकार द्वारा ली गई थी तथा इस पावर सब स्टेशन के लिए जमीन भी अधिग्रहण कर लिया गया है;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में झारखण्ड धाम क्षेत्र में जमुआ पावर सब–स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित प्रश्न पर अब तक राज्य सरकार द्वारा पावर सब स्टेशन का निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकारत्मक।
3. क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत देवरी प्रखण्ड के भेलुवघाटी, चतरो में भी पावर सब स्टेशन के लिए सर्वे कराया गया है;	अस्वीकारात्मक।
4. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खंडों में निहित स्थानों पर पावर सब स्टेशन नही बनने के कारण स्थानीय जनता को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। देवरी एवं जमुआ प्रखण्ड अंतर्गत देवरी, रानीडीह, जमुआ, खरगडीहा एवं कारोडीह में पावर सब–स्टेशन चालू अवस्था में है। देवरी पावर सब–स्टेशन से चतरो एवं भेलवाघाटी को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में जमुआ विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत जमुआ एवं देवरी प्रखंड के उपभोक्ताओं को प्रतदिन औसतन 17 से 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
5. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र जमुआ के सभी स्वीकृत पावर सब स्टेशन का नवनिर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जमुआ विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत सभी स्वीकृत पावर सब–स्टेशन कारोडीह एवं रानीडीह का निर्माण कर ऊर्जान्वित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में किसी भी योजना के तहत पावर सब–स्टेशन का निर्माण लंबित नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 461 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले
तारांकित प्रश्न संख्या जा–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिले के चैनपुर, कुरवा, चलना, कुरता, दुलाडीह, चन्द्रढीपा में पावर सब–स्टेशन नहीं रहने के कारण आस–पास के ग्रामों एवं पंचायतों में बेतहाशा बिजली कटौती की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि लगातार बिजली कटौती के कारण आम जनजीवन, छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन, व्यवसाय, मजदूर एवं किसानों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित स्थलों में 33/11 KV 2x5 MVA Power Sub Station का निर्माण जल्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जामताड़ा जिले के ग्राम–चैनपुर में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, नारायणपुर से 11 के0भी0 RE-5 फीडर (PSS से ग्राम चैनपुर की दूरी 22 Km) के द्वारा, ग्राम कुरवा में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र करमाटांड से 11 के0भी0 कुरवा फीडर (PSS से ग्राम कुरवा की दूरी 15 Km) के द्वारा, ग्राम चलना में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र जामताड़ा से 11 के0भी0 बुधुडीह फीडर (PSS से ग्राम चलना की दूरी 22 Km) के द्वारा ग्राम कुरता में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र नारायणपुर से 11 के0भी0 RE-4 फीडर (PSS से ग्राम कुरता की दूरी 17 Km), ग्राम दुलाडीह में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र जामताड़ा से 11 के0भी0 बुधुडीह फीडर (PSS से ग्राम दुलाडीह की दूरी 10 Km) एवं ग्राम चन्द्रदीपा में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र मिहिजाम से 11 के0भी0 मिहिजाम फीडर (PSS से ग्राम चन्द्रदीपा की दूरी 15 Km) के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है। उक्त ग्रामों में 11 के0भी0 लाईन की दूरी अधिक होने के कारण वोल्टेज की समस्या होती है। विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने हेतु (I) ग्राम–चैनपुर प्रखण्ड नारायणपुर में 1x5 MVA विद्युत शक्ति उपकेन्द्र (II) ग्राम–इदगाह मोड़ प्रखण्ड करमाटाँड में 1x5 MVA विद्युत शक्ति उपकेन्द्र एवं (III) ग्राम–दुलाडीह प्रखण्ड जामताड़ा में 2x5 MVA विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण वार्षिक विकास योजना वर्ष 2024–25 में प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 419 / दिनांक 28/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(156)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–06

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि एनजीटी द्वारा नदी से बालू उठाव पर रोक दिनांक–16 अक्टूबर, 2023 से समाप्त होने के बाद भी पलामू जिले के 19 बालू घाटों में से किसी भी बालू घाट से दिनांक–30 जनवरी, 2024 तक बालू का उठाव नहीं किया जा रहा है;	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0, राँची के पत्रांक–434, दिनांक–24.02.2024 के प्रतिवेदन के अनुसार पलामू जिला के सर्वे रिपोर्ट (बालू) में Category-II के कुल 21 Potential बालू–घाट चिन्हित है, जिसमें कुल 08 बालू घाटों के संचालन के लिए MDO का चयन कर लिया गया है तथा एकरारनामा निष्पादन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। चयनित MDO को सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त किए जाने हेतु निदेशित किया गया है। वर्तमान में राज्य में SEIAA Committee के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण EC प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। बालू–घाटों का सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त होते ही बालू–घाटों का संचालन किया जाएगा।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित बालू का उठाव नहीं होने के कारण सरकारी विकास की योजनाओं तथा निजी निर्माण की योजनाओं पर जहाँ प्रतिकूल असर पड़ रहा है, वहीं दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार के गंभीर संकट उत्पन्न हो गए हैं;	पलामू जिलान्तर्गत बालू–घाटों का DSR (बालू) में Category-I में कुल 71 तथा Category-II में कुल 21 बालू घाट चिन्हित है। Category-I के बालू घाटों से संबंधित दिशा निदेश का पालन करते हुए बालू का उठाव कर सरकारी विकास की योजनाएँ क्रियान्वित किया जा सकता है।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार/खान विभाग द्वारा कैटेगरी–1 के पलामू जिले के सभी 44 घाटों से बालू उठाव किया जा रहा है की बातें बताई जाती है, परन्तु कैटेगरी–1 के चिन्हित घाटों में गुणवत्तापूर्ण बालू उपलब्ध ही नहीं है, जिसे निर्माण कार्य में लाया जा सके;	खण्ड–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिले में गुणवत्तापूर्ण बालू सुलभ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(तारा)–03/2024 867/एम०, राँची, दिनांकः– 26/02/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2685 दिनांक–19.02.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2024
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले **तारांकित प्रश्न संख्या जा–10** का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अड़की प्रखण्ड के तीनतीला पंचायत के डोलडा में एक वर्ष से अधिक समय से दो ट्रांसफॉर्मर खराब है, जिसकी सूचना निरंतर बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों को दी जाती रही है फिर भी आज तक वहाँ ट्रांसफॉर्मर नहीं लग पाया है;	**अस्वीकारात्मक।** वर्णित स्थानों के जले ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि अड़की प्रखण्ड के मदहातु पंचायत के काटुई गाँव के टोला डाडी में दो वर्ष से अधिक समय से ट्रांसफॉर्मर खराब है, जिसे मजबूरन ग्रामीणों को स्वयं ठीक करवाना पड़ रहा है जो कि वर्तमान में खराब है और उस पर विभाग की ओर से कोई पहल नहीं किया जा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** वर्णित स्थानों के जले ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि अड़की प्रखण्ड के रोम्बा, रायतोड़ांग, कोचांग, बड़ानी समेत बुण्डू और तमाड़ के भी कई गाँव है जहां ट्रांसफॉर्मर की कमी से गाँव अंधेरा में रह रहा है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।**
4. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र उपर्युक्त विषयों के निष्पादन का विचार रखती है, हाँ तो कब तब, नहीं तो क्यों?	अड़की प्रखण्ड के वर्णित गाँव तथा बुण्डू, तमाड़ प्रखण्ड के जले हुए ट्रांसफार्मर को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र बदल दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 465 / दनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

श्रीमती सुनिता चौधरी मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 06 का उत्तर :–

	मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के हुहुआ– गोवरधरा जलापूर्ति योजना तथा रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना फेज– II का एकरारनामा 6 साल पूर्व किया गया है, लेकिन योजना अभी तक अधूरी है।	**अस्वीकारात्मक।** हुहुआ–गोवरधरा जलापूर्ति योजना का निर्माण सितम्बर– 2019 में तथा रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना फेज– II का निर्माण जून– 2019 में पूर्ण कर लिया गया है एवं संवेदक के द्वारा रख–रखाव किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि हुहुआ–गोवरधरा जलापूर्ति योजना से आच्छादित क्षेत्र कैथा, कोठार, मुर्रम कला में आंशिक गोसा, चेटर, बुढ़ाखुखरा में सप्ताह में एक दो दिन ही जलापूर्ति होती है तथा हुहुआ, गोवरधरा, मडुआजरा, सेवईया गाढ़ा, नायक टोला में कई जगह पाईप लाईन ही नहीं बिछाई गई है तथा रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना फेज– II के अन्तर्गत केवल वार्ड नं०– 01 एवं 02 में आंशिक जलापूर्ति की जाती है तथा वार्ड नं०– 07 में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं किया गया है;	हुहुआ–गोवरधरा जलापूर्ति योजना से आच्छादित क्षेत्र कैथा, कोठार, मुर्रम कला, गोसा, चेटर, बुढ़ाखुखरा में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा वितरण पाईप को जोड़ने नहीं दिये जाने के कारण ग्राम– कोठार के उपर टोला में जलापूर्ति बाधित है। परन्तु इस क्षेत्र में कुल 09 अदद चालू नलकूपों से जलापूर्ति की जा रही है। मडुआजरा, सेवईया गाढ़ा में पाईप लाईन बिछाया गया है परन्तु पाईप जाम रहने के कारण वर्त्तमान में पेयजलापूर्ति बाधित है, एक सप्ताह के अन्दर जाम पाईप की सफाई कराकर जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी। नायक टोला में पाईपलाईन बिछाया गया है एवं पेयजलापूर्ति की जा रही है। रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना फेज– II अन्तर्गत वार्ड नं०– 01 एवं 02 में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। परन्तु रेलवे क्रॉसिंग के कारण वार्ड नं०– 07 में पाईप नहीं जोड़ा जा सका है। रेलवे से NOC प्राप्त कर ली गई है तथा पाईप लाईन 15 दिनों के अन्दर जोड़ दिया जायेगा। वर्त्तमान में वार्ड नं०– 07 में 18 अदद चालू नलकूपों के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार हुहुआ–गोवरधरा जलापूर्ति योजना तथा रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना फेज– II का कार्य पूर्ण कर नियमित जलापूर्ति करते हुए दोषी संवेदक एवम् पदाधिकारी पर कार्रवाई करने पर विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–06/2024– 532 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2762, दिनांक– 21.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–06/2024– 532 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(159)

श्रीमती सूनिता चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले **तारांकित प्रश्न संख्या जा–08** का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सूनिता चौधरी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में डीवीसी कमांड एरिया के अन्तर्गत आने वाले जिलों में हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा शामिल है। इन जिलों में डिमांड के हिसाब से बिजली नहीं मिल पा रही है तथा रामगढ़ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4–6 घंटा पॉवर कट किया जा रहा है, जबकि रामगढ़ में कई उद्योग एवं कारख़ाना संचालित है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** रामगढ़ जिला अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में औसत 21–22 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औसत 18–19 घंटा विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार और डीवीसी के बीच एकरारनाम है कि डीवीसी कमांड एरिया के अन्तर्गत आने वाले सभी जिलों में विद्युत आपूर्ति सिर्फ कोडरमा स्थित विद्युत जेनरेटिंग स्टेशन से की जाएगी। कोडरमा जेनरेटिंग स्टेशन से उत्पादन प्रभावित होने पर पूरे कमांड क्षेत्र में आपूर्ति प्रभावित होती है और इस परिस्थिति जेवीवीएनएल के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण रामगढ़ एवं कमांड क्षेत्र में पावर कट की समस्या बनी रहती है;	**अस्वीकारात्मक।** झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं डी०वी०सी० के बीच एकरारनामा के तहत् अगर कोडरमा की ईकाई बंद हो जाती है तो उस स्थिति में डी०वी०सी० अपने दूसरे स्रोतों से डी०वी०सी० कमाण्ड एरिया में विद्युत आपूर्ति करता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ सहित डी०वी०सी० के कमान क्षेत्र में स्थित जिलों में नियमित आपूर्ति करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	रामगढ़ जिले के डी०वी०सी० पर निर्भरता कम करने हेतु तीन नये ग्रिड सब स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिसमें से गोला एवं पतरातू में ग्रिड निर्माण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही अन्य डी०वी०सी० कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत आने वाले जिलों में भी ग्रिड निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 456 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

160

श्री लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले
तारांकित प्रश्न संख्या जा–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के गोमिया प्रखण्ड अन्तर्गत बिरहोरटंडा/ असनापानी/ कासीटांड आदि कई गाँवों में अभी तक में बिजली नहीं पहुँची है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य बनने के 23 वर्षों के बावजूद अब तक उक्त गाँवों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाई है जिससे वहाँ के ग्रामीण अंधकार में जीने को विवश है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बिरहोरटंडा, असनापानी एवं कासीटांड ग्राम गोसे (Census Code-362365) के टोले हैं। पूर्व में वर्ष 2021 तक बिरहोरटंडा एवं कासीटांड विद्युतीकृत थे परंतु काफी घना जंगल क्षेत्र होने के कारण एवं लाईन की लंबाई काफी ज्यादा होने के कारण वर्तमान में ये गाँव de-electrified हों चुके हैं एवं असनापानी लगभग 3 वर्ष पूर्व बसा नया टोला है जिसका विद्युतीकरण नहीं हुआ है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोमिया प्रखण्ड अंतगर्त बिरहोरटंडा/ असनापानी/ कासीटांड़ में विद्युत आपूर्ति करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बिरहोरटंडा, असनापानी एवं कासीटांड आदि गाँवों/टोलों का विद्युतीकरण "मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना" के अतंर्गत प्रस्तावित है, जिसकी निविदा महाप्रबंधक (ग्रामीण परियोजना), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची कार्यालय से जारी कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 458 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

161

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधानसभा क्षेत्र खनन, औद्योगिक एवं घनी आबादी का क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड निरसा के पाण्ड्रा मोड़, निरसा एवं भालजोरिया तथा कई अन्य जगहों पर मकानों के छतों के से 11000 Volt का विद्युत लाईन गुजरा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। तदेन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के पूर्व ही प्रखंड निरसा के पाण्ड्रा मोड़, निरसा एवं भलजोरिया में विद्युत आपूर्ति हेतु 11 के०भी० लाईन का निर्माण किया गया था। कालान्तर में स्थानीय लोगों के द्वारा विद्युत तार के नीचे कई निर्माण कार्य किया गया है, कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य विद्युत तारों से सुरक्षित दूरी का अनुपालन नहीं किया गया है। जिसके कारण कुछ एक स्थान सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील हो गये है।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त उच्च ताप के विद्युत लाईन के मकानों के छतों से गुजरने के कारण हमेशा दुघटना होने की आशंका बनी रहती है तथा कई जगहों पर 11000 Volt का तार जर्जर हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विद्युत तारों के नीचे निर्माण कार्य कर लेने से तथा निर्माण कार्य में आवश्यक सुरक्षित दूरी का अनुपालन नहीं करने से कुछ एक स्थान सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं।
4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्वेक्षण कराकर मकानों के छतों से लाईन हटाकर अन्यंत्र लगाने तथा पुराने जर्जर तार बदलकर नया तार लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत संवेदनशील एवं सार्वजनिक स्थलों पर परिस्थिति के अनुरूप विद्युत तार हटाने की योजना है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 459 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(162)

श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख–03

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के प्रखण्ड रमुना के चना–बरहिया में कोयला एवं धुरकी प्रखण्ड के खुटिया में डोलामाईट का विशाल भण्डार है;	1. खुटिया (धुरकी प्रखण्ड) में लाईमस्टोन तथा डोलोमाईट खनिज के लिए किये गये भूतात्विक अन्वेषण उपरांत क्षेत्र में लाईमस्टोन तथा डोलोमाईट खनिज की उपलब्धता पायी गयी है। 2. ग्राम चना–बरहिया एवं इसके इर्द गिर्द में प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान कोयले का निक्षेप नहीं पाया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खुटिया एवं चनाबरहिया कोयला/डोलामाईट खदान को चालू करा देने से हजारो लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा एवं राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी;	खुटिया (धुरकी प्रखण्ड) में लाईम स्टोन तथा डोलोमाईट खनिज के खदान चालू करने हेतु खनिज ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी। एक ही Bid प्राप्त होने के कारण नीलामी की कार्रवाई नहीं की जा सकी। पुनर्निविदा की कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खुटिया एवं चनाबरहिया कोयला/डोलामाईट खदान को अविलम्ब चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	यथा–उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(तारा0)–07/2024 415 /एम०, राँची, दिनांक:– 01.03.2024

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2688 दिनांक–19.02.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

163

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–14 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिला अंतर्गत मनिका विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखण्डों यथा:–लातेहार, मनिका, मनिका, बरवाडीह, सरयू, गारु, महुआडांड़ के सभी ग्रामों एवं टोलों में वर्ष 2005 से कई योजनाओं के तहत विद्युतीकरण कार्य हेतु एजेंसियाँ नियुक्त की गई थी जिनके द्वारा खाना–पूर्ति करते हुए सुदूर ग्रामों या ग्रामों/ टोलों में पोल–तार नहीं लगाया गया है, जिसके कारण आज भी कई ग्रामों/ टोलों में विद्युत आपूर्ति बाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2005 में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत सीमित मात्रा में विद्युतीकरण का कार्य किया गया था, वर्ष 2017 से 2021 के बीच DDUGJY योजना के तहत वृहत पैमाने पर विद्युतीकरण कार्य किया गया तथा कुछ शेष बचे अविद्युतीकरण टोलों/ आंशिक विद्युतीकृत टोलों के विद्युतीकरण हेतु "मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजन" के तहत कार्य स्वीकृत हुआ है एवं वैसे सुदूर ग्रामों या ग्रामों/ टोलों जहाँ विद्युतीकरण कार्य करने में कठिनाई है, जेडा के माध्यम से सोलर द्वारा ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जांच कराकर सभी ग्रामों/ टोलों जहां विद्युतिकरण का कार्य नहीं हुआ है वहाँ विद्युतीकरण का कार्य कराने एवं संबन्धित एजेंसियों जिनके द्वारा कार्य में अनियमितता बरती गयी है उन पर विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग द्वारा सभी छूटे हुए ग्रामों या ग्रामों/ टोलों में "मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना" के तहत विद्युतीकरण हेतु निगम के द्वारा निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है एवं वैसे ग्रामों/ टोलों जहां विद्युतीकरण कार्य में कठिनाई है, जेडा के माध्यम से सोलर द्वारा ऊर्जान्वित करने हेतु प्रक्रिया की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 462 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिलान्तर्गत पूर्वी टुंडी प्रखण्ड के तहत ग्राम–कोपली निवासी भादु महताईन पति–स्व० बिल्लू महतो का निधन 220V टूटे हुए विद्युत तार से स्पर्शाघात होने से दिनांक 06/11/2023 को मृत्यु हो गई थी?	**अस्वीकारात्मक।** धनबाद जिलान्तर्गत पूर्वी टुंडी प्रखण्ड के तहत ग्राम–कोपली निवासी–भादु महताईन पति–स्व० बिल्लू महतो की मृत्यु विभागीय LT तार के टूटने से नहीं हुई है। संबंधित घटना के स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम–कोपली में LT AB Cable के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। पूर्वी टुंडी थाने में दर्ज कांड सं० 07/23 के अनुसार मृतका के भतीजे श्री मधुसूदन महतो द्वारा बिजली के नंगे LT तार से विद्युत स्पर्शाघात के कारण मृत्यु का आवेदन दिया गया है, जबकि घटनास्थल अथवा पूरे गाँव में कहीं भी नंगा LT तार का प्रयोग नहीं किया गया है। उक्त घटनाक्रम की जानकारी मृतका के परिजनों द्वारा विभाग के किसी भी कार्यालय को नहीं दी गई है।
2. क्या यह बात सही है, कि खंड (1) में वर्णित महिला का निधन ऊर्जा विभाग के कर्मियों के लापरवाही के कारण हुई है ?	**अस्वीकारात्मक।** उपरोक्त गाँव में LT लाईन में Covered AB Cable के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अतः किसी प्रकार की विभागीय लापरवाही परिलक्षित नहीं होती है।
3. क्या यह बात सही है, कि विद्युत तार से स्पर्शाघात होकर मृत्यु होने पर विभाग द्वारा आश्रित परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान है?	**स्वीकारात्मक।** विद्युत विभाग की स्थापित संरचना से यदि दुर्घटनावश विद्युत स्पर्शाघात होता है, तो उस परिस्थिति में आश्रित के परिजनों को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान देय है।
4. यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में खंड (1) में वर्णित मृतिका के आश्रित परिजनों को विभाग द्वारा सरकारी सहयोग एवं मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त वर्णित घटना विभागीय तार टूटने, इत्यादि से नहीं हुआ है। अतः यह घटना विभागीय सहयोग अथवा मुआवजा के दायरे में नहीं आता है, जिससे कि मृतका के आश्रितों को मुआवजा दिया जा सके ।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 447 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

श्री ढुलु महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले
तारांकित प्रश्न संख्या जा–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री ढुलु महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के भीमकनाली पंचायत के राजस्व ग्राम खाड़ी टोली रजवार टोली, मोहिनी टोला आदिवासी टोला, कुर्मी, कोईरी, चौधरी टोला सहित अन्य टोला में बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है, इन टोलों के चारों तरफ से बी०सी०सी०एल० क्वार्टर बसा दिया गया है और इन टोलों को अंधेरा में रहने के लिए छोड़ दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के 61 पंचायतों एवं 8 नगर निगम क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु जर्जर पोल एवं पुराने तार के कारण निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3 यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भीमकनाली पंचायत में विद्युत आपूर्ति एवं खंड–02 में वर्णित स्थलों पर जर्जर पोल एवं पुराने तार का मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	खण्ड–1 में वर्णित बाघमारा विधान–सभा क्षेत्र के भीमकनाली पंचायत अंतर्गत उक्त गाँव में BCCL के द्वारा विद्युत आपूर्ति बहाल की जाती है एवं रख–रखाव का कार्य भी BCCL के द्वारा किया जाता है। खण्ड–2 में वर्णित बाघमारा विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत कुछ गाँव में तारों को बदल दिया गया है। शेष जर्जर तार को चिन्हित कर वित्तिय वर्ष 2024–25 में बदलने की योजना है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 466 / दनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(166)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 02 का उत्तर :–

मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि विश्रामपुर विधान–सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रखण्ड–पाण्डु, नावा बाजार तथा उँटारी रोड में नल–जल योजना का कार्य वर्ष 2023–24 से संवेदक द्वारा कराया जा रहा है;	**स्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि संवेदक तथा स्थानीय मुखिया की मिली भगत से चयनित स्थल में हेर–फेर कर व्यक्तिगत लाभ के लिए योजना अन्यत्र लगाया गया है तथा नल का बोर भी 50% कम गहराई में किया गया है जिससे जनता में आक्रोश है;	**अस्वीकारात्मक।** प्रखण्ड विश्रामपुर, पाण्डु, नावा बाजार तथा उँटारी रोड अन्तर्गत जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं एकरारनामा के शर्तों के अनुसार ग्रामीणों की सहमति से चयनीत स्थल पर करायी जा रही है। उक्त कार्यों का निरीक्षण विभागीय अभियंताओं एवं TPIA द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पलामू को इस अनियमितता की जाँच करने एवं भुगतान रोकने का आग्रह किया गया था, परन्तु उनके द्वारा आग्रह की अनदेखी कर भुगतान कर दिया गया है जो सरकारी राशि का दुरूपयोग है;	एकरारनामा के शर्तों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जाने पर ही संवेदक को भुगतान की कार्रवाई की जाती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए भुगतान रोकना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–02/2024– 526 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2683, दिनांक– 19.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–02/2024– 526 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

167

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि श्री हरेन्द्र कुमार, पिता–स्व० सीता प्रसाद, ग्राम–बोलवा, पंचायत–समसेरा, प्रखण्ड–बोलबा सिमडेगा के स्थायी निवासी है को वर्ष 2015 में विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन लगाया गया, वर्ष 2015 से 2017 तक के बिजली बिल का भुगतान दिनांक–28.02.2017 को 11,133 रुपया जमा किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक का मीटर में बिजली बिल 1217 यूनिट का 50,014 रुपया विभाग द्वारा आया है;	स्वीकारात्मक। मामले के संज्ञान में आने पर विद्युत विपत्र की जाँच की गई एवं त्वरित कार्यवाई करते हुए इसे सुधार दिया गया। संशोधित विपत्र रु० 19094/– उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिया गया।
3. क्या यह बात सही है कि हरेन्द्र कुमार का 50,014 रु० बिजली बिल भुगतान नहीं करने की स्थिति में उनका बिजली कनेक्शन विभाग द्वारा काट दिया गया है और केस करने कि धमकी दी जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) अधिनियम 2015 की कंडिका 10.7 के प्रावधानो के अनुरुप त्रुटि पूर्ण विपत्रीकरण के मामले में उपभोक्ता द्वारा तीन माह के औसत अथवा स्वयं आकलन कर बकाया राशि का भुगतान किया जाना है। चूँकि श्री हरेन्द्र कुमार उपभोक्ता संख्या 37237 (सिमडेगा) द्वारा अपने एक भी विपत्र के विरुद्ध 28.02.2017 के पश्चात भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण उनका विद्युत संबंध नियमानुसार विच्छेदित किया गया है। उपभोक्ता द्वारा संशोधित विपत्र रु० 19094/– का भुगतान किये जाने की स्थिति में उनका विद्युत संबंध नियमानुसार चालू कर दिया जायेगा।
4. क्या यह बात सही है कि श्री हरेन्द्र कुमार जैसे अनेकों मामले विभागीय लापरवाही के कारण गलत बिजली बिल भेजकर एफ०आई०आर० कर आमलोगों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
5. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री हरेन्द्र कुमार का विभाग द्वारा 1217 यूनिट के बिजली बिल को संशोधित करते हुए विभाग को पुनः इसे जारी कर श्री कुमार का बिजली कनेक्शन को जोड़ना चाहती है तथा अन्य उपभोक्ताओं के इस प्रकार के मामले को निष्पादन करना चाहती है, हाँ तो कब तब, नहीं तो क्यों?	इस प्रकार के मामले विभाग के संज्ञान में आने पर जाँचोपरान्त वैसे उपभोक्ता का विद्युत विपत्र सुधार नियमानुसार कर दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 464 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्ताकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

168

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 01 का उत्तर :–

मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पाँकी प्रखण्ड के अमानत बराज पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना, कार्य आदेश संख्या–4091, दिनांक– 04.10.2018 के तहत 7 पंचायतों के 65 गाँवों को पाइपलाईन से पानी पहुँचाने का लक्ष्य था;	**आंशिक अस्वीकारात्मक।** पाँकी प्रखण्ड में जलापूर्ति योजना का कार्यादेश के तहत पाँकी प्रखण्ड के 10 पंचायत के 46 गाँवों को पाईप लाईन से पानी पहुँचाने का लक्ष्य था।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना को वर्ष 2021 में पूर्ण कर लेने का लक्ष्य था, जबकि वर्ष 2024 तक गाँवों में पुरानी पाँकी, हरना, मंगलपुर, रविदास मुहल्ला, बालूडीह, हरैया, धूब केवालपर, खिरीपर, दरियातु जैसे दर्जनों गाँव में पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, साथ ही हर घर को नल से नहीं जोड़ा गया है, कई जगह लीकेज की शिकायत है, जबकि ठेकेदार द्वारा विभाग को कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना दी गई है;	**अस्वीकारात्मक।** योजना वर्ष 2021 में पूर्ण करने का लक्ष्य था। वर्त्तमान में जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना से प्रश्नांकित गाँवों के साथ–साथ आच्छादित होने वाले सभी 46 गाँवों में अनुमोदित Design & Drawing के अनुसार कार्य कराया गया है तथा वर्त्तमान में 11019 अदद् घरों को पेयजलापूर्ति की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कर अविलम्ब अधूरे कार्य को पूर्ण करने का निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका– 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–01/2024– 518 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2649, दिनांक– 18.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–01/2024– 518 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

169

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 03 का उत्तर :–

	मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	**श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–**
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के ग्राम+पंचायत बनासो में कोनार नहर सिंचाई परियोजना के गहरी खुदाई के कारण जलस्तर काफी नीचे चले जाने के फलस्वरूप ग्राम–बनासो सहित अन्य कई ग्रामो में पेयजल के उपयोग में आने वाली यथा कुआँ एवं चापानल सूख गए हैं जिससे पेयजल संकट उत्पन्न हो गई है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बनासो में विभाग द्वारा वर्ष 2004–05 में कोनार नहर परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन नहर में एकत्रित जल स्त्रोत से बनासो ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य कराया गया था। वर्णित योजना के एकरारनामा के शर्तो के अनुसार 02 वर्ष तक मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य संवेदक द्वारा किया गया। तत्पश्चात योजना को संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) को हस्तातंरित कर दिया गया। कोनार नहर परियोजना के तहत नहर खुदाई के कारण जलस्तर नीचे चला गया, जिसकी वजह से योजना Defunct हो गई। विभाग द्वारा **"हजारीबाग 30 गाँव ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना"** का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस योजना से ही बन्द बनासो ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना को जलस्रोत उपलब्ध कराकर चालू किया जाना है। उक्त योजना का कार्य प्रगति पर है तथा माह फरवरी 2025 तक पूर्ण किया जाना है। वर्त्तमान में बनासो पंचायत के 9015 आबादी को 66 अदद चालू नलकूपों के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, जो विभागीय मानक के अनुरूप है।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्राम–बनासों में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना संचालित की गई थी जो उचित रख–रखाव एवं विभागीय उपेक्षा के कारण योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है एवं करोड़ों की लागत से बनी योजना अनुपयोगी साबित हो रही है;	कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हजारीबाग जिला विष्णुगढ़ प्रखण्ड के ग्राम पंचायत– बनासो में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना को अविलम्ब मरम्मत कराकर नागरिकों को जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–03/2024– 525 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2765, दिनांक– 21.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–03/2024– 525 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

170

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 04 का उत्तर :–

मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला के मंझगाँव प्रखण्ड में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 2020–21 में योजना का उद्घाटन किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजनाओं के द्वारा पश्चिमी सिंहभूम के मंझगाँव प्रखण्ड के तीन पंचायत बलियापोसी, परसा एवं मंझगाँव के कुल 14 गाँवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन मात्र एक पंचायत के मंझगाँव गाँव में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। मझगाँव प्रखण्ड के तीन पंचायत बलियापोसी, पड़सा एवं मझगाँव के कुल 14 गाँवों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं रहने के कारण 01-01 दिन छोड़कर Rotation के आधार जलापूर्ति की जाती है। साथ ही इन 14 गाँवों के कुल आबादी 12694 के लिए 137 चापाकल एवं 29 सोलर आधारित जलमीनार से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है जो विभागीय मानक के अनुरूप है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम के मंझगाँव प्रखण्ड अन्तर्गत शेष बचे गाँव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मझगाँव जलापूर्ति योजना का जलस्रोत गुड़गाँव नाला है। यह जलस्रोत 09–10 महीने ही कार्यरत रहता है और गर्मी में पानी का अभाव हो जाता है। इस कारण जलस्रोत के Augmentation हेतु Weir निर्माण करने संबंधी प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–04/2024– 521 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2764, दिनांक– 21.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–04/2024– 521 राँची, दिनांक :– 01/03/2024

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

171

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले
तारांकित प्रश्न संख्या जा–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत खिजरी विधान–सभा क्षेत्राधीन अधिकतर (लगभग–45) पंचायतों के संसीमित ग्रामों में विद्युत पोल एवं तार जर्जरावस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विद्युत पोल एवं तार की जर्जरावस्था के कारण आये दिन दुर्घटनाएँ घटित होते रहता है, जिसका शिकार आमजन एवं मवेशी होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विषय का असर ग्रामीणों एवं बच्चों के पठन–पाठन तथा किसानों की सिंचाई व्यवस्था पर पड़ रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में विद्युत पोल एवं तार को बदलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वैसे सभी स्थानों पर जहाँ बिजली पोल एवं तार जर्जर अवस्था में है उसे आर0डी0एस0एस0 योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2024–25 में दुरूस्त कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 421 / दिनांक 28/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

172

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–01

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर, सरिया और बिरनी प्रखण्ड में बालू का स्त्रोत बराकर और इरगा नदी है, लेकिन अब तक उक्त प्रखण्ड में उक्त नदियों पर बालू उठाव केन्द्र विधिवत आवंटित नहीं किया गया है;	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0, राँची के पत्रांक–433 दिनांक–24.02.2024 के प्रतिवेदनानुसार गिरिडीह जिला के सर्वे रिपोर्ट (बालू) में Category-II के कुल 23 Potential बालू–घाट चिन्हित है, जिसमें कुल 07 बालू घाटों के संचालन के लिए MDO का चयन कर लिया गया है तथा एकरारनामा निष्पादन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। चयनित MDO को सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त किए जाने हेतु निदेशित किया गया है। वर्तमान में राज्य में SEIAA Committee के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण EC प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। बालू–घाटों का सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त होते ही बालू–घाटों का संचालन किया जाएगा।
2.	क्या यह बात सही है कि बालू उठाव केन्द्र नहीं चिन्हित होने से सरकारी और निजी कार्य में बालू उठाव में परेशानी हो रही है तथा ग्रामीणों को कठिनाई हो रही है;	गिरिडीह जिलान्तर्गत बालू–घाटों का DSR (बालू) में Category-I में कुल 15 तथा Category-II में कुल 23 बालू–घाट चिन्हित है। Category-I के बालू घाटों से संबंधित दिशा निदेश का पालन करते हुए बालू का उठाव कर सरकारी विकास की योजनाएँ एवं निजी कार्य कियान्वित किया जा सकता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में सरकारी व घरेलू कार्य हेतु तत्काल बालू उठाव की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड–1 एवं 2 स्वतः स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(तारा)–02 / 2024 365 / एम०, राँची, दिनांक:– 26/02/24

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2650 दिनांक–18.02.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

(173)

डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–02

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, खनन कार्यो से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हितों के संरक्षण एवं विकास कार्यो के लिये डी0एम0एफ0टी0 मद का उपयोग किया जाता है;	स्वीकारात्मक है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा–9बी के अनुसार झारखण्ड के सभी 24 जिलों में डी0एम0एफ0टी0 की स्थापना की गयी है, जो खनन से प्रभावित प्रत्योक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की स्थापना का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) को खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण और विकास के लिए डी0एम0एफ0 के तहत एकत्रित राशि के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि, पूरे झारखण्ड राज्य में अवस्थित अधिकांश खनन क्षेत्रों में मात्र 9 टन भार क्षमता के मानक से बनाए गए ग्रामीण कार्य विभाग के पथों से प्रतिदिन उच्च भार क्षमता वाले भारी वाहन गुजरते हैं, जिससे ग्रामीण पथों की स्थिति टूटकर अत्यंत खराब हो जाती है;	विभाग से संबंधित नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि, पलामू जिला के पाँकी विधान सभ क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड पाँकी के सगालिम से आसेहार पथ तथा प्रखण्ड–नीलाम्बर–पीताम्बरपुर के ढेला से धनगाँव, रजहारा होते हुए बोहिता तक पथ की स्थिति पत्थर खदानों के भारी वाहनों के परिचालन से टूटकर अत्यंत खराब हो गई है;	स्वीकारात्मक है। उप विकास आयुक्त, पलामू के पत्रांक–199 दिनांक–23.02.2024 एवं पत्र के साथ संलग्न प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नीलाम्बर–पीताम्बरपुर का पत्रांक–176, दिनांक–22.02.2024 तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी का पत्रांक–256, दिनांक–22.02.2024 द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रखण्ड–नीलाम्बर–पीताम्बरपुर के ढेला से धनगाँव, रजहारा होते हुए बोहिता तक एवं प्रखण्ड–पांकी के सगालिम से आसेहार पथ की स्थिति खराब हो गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खनन प्रभावित क्षेत्रों के पथों को स्वतः चयन करते हुए पथ निर्माण विभाग के मानक के अनुसार उच्च भार क्षमता वहन करने के अनुरूप निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय अधिसूचना संख्या–218, दिनांक–23.03.2016 एवं सचिव–सह–खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–01/एम0, दिनांक–06.01.2020 के आलोक में डी0एम0एफ0टी0 मद से योजनाओं का चयन खनन प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामसभा के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर DMFT प्रबंधकीय समिति/न्यास परिषद के स्तर से स्वीकृत एवं क्रियान्वित किया जाना है। संबंधित ग्रामसभा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर DMFT के स्तर पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(तारा0)–06/2024 369 /एम०, राँची, दिनांक:– 26/02/24

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2687 दिनांक–19.02.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

(174)

श्रीमती सूनिता चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले **तारांकित प्रश्न संख्या जा–08** का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सूनिता चौधरी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में डीवीसी कमांड एरिया के अन्तर्गत आने वाले जिलों में हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा शामिल है। इन जिलों में डिमांड के हिसाब से बिजली नहीं मिल पा रही है तथा रामगढ़ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4–6 घंटा पॉवर कट किया जा रहा है, जबकि रामगढ़ में कई उद्योग एवं कारख़ाना संचालित है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** रामगढ़ जिला अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में औसत 21–22 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औसत 18–19 घंटा विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार और डीवीसी के बीच एकरारनाम है कि डीवीसी कमांड एरिया के अन्तर्गत आने वाले सभी जिलों में विद्युत आपूर्ति सिर्फ कोडरमा स्थित विद्युत जेनरेटिंग स्टेशन से की जाएगी। कोडरमा जेनरेटिंग स्टेशन से उत्पादन प्रभावित होने पर पूरे कमांड क्षेत्र में आपूर्ति प्रभावित होती है और इस परिस्थिति जेवीवीएनएल के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण रामगढ़ एवं कमांड क्षेत्र में पावर कट की समस्या बनी रहती है;	**अस्वीकारात्मक।** झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं डी०वी०सी० के बीच एकरारनामा के तहत् अगर कोडरमा की ईकाई बंद हो जाती है तो उस स्थिति में डी०वी०सी० अपने दूसरे स्रोतों से डी०वी०सी० कमाण्ड एरिया में विद्युत आपूर्ति करता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ सहित डी०वी०सी० के कमान क्षेत्र में स्थित जिलों में नियमित आपूर्ति करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	रामगढ़ जिले के डी०वी०सी० पर निर्भरता कम करने हेतु तीन नये ग्रिड सब स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिसमें से गोला एवं पतरातू में ग्रिड निर्माण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही अन्य डी०वी०सी० कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत आने वाले जिलों में भी ग्रिड निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 456 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

175

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कमलेश कुमार सिंह , मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद विधान–सभा क्षेत्र में स्थित पचंबा ग्रिड को सोननगर (बिहार) से बिजली की आपूर्ति होती है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पचंबा ग्रिड से जपला, हैदरनगर, मोहम्मदगंज और बैरॉव फीडर को बिजली की सप्लाई की जाती हैं;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि सोननगर (बिहार) से पचंबा ग्रिड को फुल लोड (लगभग 30 मेगावाट) बिजली प्राप्त होने के बावजूद State Load Dispatch Centre (SLDC) Ranchi से निर्देश दिया जाता है कि आपको 10 से 12 मेगावाट बिजली ही सप्लाई करना है, फलस्वरूप हुसैनाबाद व मोहम्मदगंज के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की किल्लत के कारण आमजनों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक। (i) यह बात सही है कि सोननगर (बिहार) से 132/33 KV ग्रिड जपला को अप्रतिबंधित बिजली की आपूर्ति होती है। (ii) पीक लोड अवधि में मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराना झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) की जिम्मेवारी हैं। IEGC (Indian Electricity Grid Code) के अनुसार ग्रिड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली की मांग एवं भार (MW) का प्रबंधन होना आवश्यक है। ग्रिड से आहरण (Drawal) को नियंत्रित एवं ग्रिड की स्थिरता (Stability) को सुनिश्चित करने के लिए बिजली की अनुपलब्धता की परिस्थिति में, SLDC वितरण अनुज्ञतिधारियों (Distribution licensee) को लोड शेडिंग देने की लिए प्रतिबद्ध है। (iii) बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में JBVNL की प्राथमिकता के आधार पर SLDC द्वारा ग्रिडों सब–स्टेशनों में लोड शेडिंग की जाती है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सोननगर (बिहार) से पचंबा ग्रिड को प्राप्त होनेवाली फुल लोड बिजली में बिना कटौती किए निर्बाध रूप से खण्ड–2 में वर्णित फीडर को सप्लाई देने का निर्देश देना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	हुसैनाबाद विधान–सभा क्षेत्र में पचंबा ग्रिड से विद्युत आपूर्ति की जाती है। पचंबा 132/33 के०भी० ग्रिड को आपूर्ति सोननगर (बिहार) से होती है। पीक लोड अवधि में कभी–कभी SLDC से निदेश के आलोक में पचंबा ग्रिड द्वारा हैदरनगर, मोहम्मदगंज, जपला एवं 33 के०भी० बैरॉव शक्ति उपकेन्द्र को Load restriction किया जाता है। अन्य दिनों में विद्युत आपूर्ति सामान्य रहती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 451 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(176)

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–05

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के नाला में अवैध खनन कर कोयला तस्करी का कार्य चल रहा है;	जामताड़ा जिला में अवैध खनन, परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु उपायुक्त, जामताड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसका अनुश्रवण उपायुक्त, जामताड़ा के द्वारा किया जाता है। अवैध खनन एवं अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा नियमित जाँच एवं कार्रवाई की जाती है। नाला थानान्तर्गत वर्ष 2022–23 में खनिजों के अवैध परिवहन कर रहे वाहनों की जाँच के क्रम में कुल 05 मामले प्रकाश में आये, जिसमें 04 मामले अवैध परिवहन से संबंधित जिसमें 22 मोटर साईकिल, 04 साईकिल, 01 ट्रैक्टर इंजिन सहित एवं 12 भैसागाड़ी को जप्त किया गया तथा 01 मामला बेलडंगाल में कोयला के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण से संबंधित पाया गया। सभी मामलों में नाला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। वर्ष 2023–24 में दिनांक–20.02.2024 तक खनिजों के अवैध परिवहन कर रहे वाहनों की जाँच के क्रम में 13 मामले प्रकाश में आये, जिसमें 02 मामले में अवैध परिवहन करते हुए 02 मोटरसाईकिल और 04 साईकिल दलावड़ चौक एवं देवलकुण्डा ग्राम के समीप जप्त किया गया, 05 मामले अवैध भण्डारण जो घोरमारा, पलास्थली वन क्षेत्र, बरकुण्डी वन क्षेत्र एवं 06 मामले अवैध उत्खनन एवं भण्डारण से संबंधित है। जो कास्ता पलास्थली वन क्षेत्र स्थित सर्वश्री ई0सी0एल0 के बंद पड़े खदानों जिसमें 25 मोटर साईकिल, 06 साईकिल एवं 01 बैलगाड़ी को जप्त किया गया। सभी मामलों में नाला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
2.	क्या यह बात सही है कि यहाँ प्रतिदिन बड़ी–बड़ी गाडियों में कोयला बाहर भेजा जा रहा है एवं ट्रांस्पोर्टिंग की आड़ मे हर दिन बड़े पैमाने पर कोयला कटिंग का खेल चल रहा है;	जामताड़ा जिलान्तर्गत कोयला के अवैध खनन/परिवहन के गतिविधियों के नियमित समीक्षा अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर जिला खनन टास्क फोर्स का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई है। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं व्यापार की रोकथाम हेतु निरंतर छापामारी की जाती है एवं अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्ता के विरूद्ध नियम संगत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में चल रहे कोयला तस्करी को अविलंब रोक लगाते हुए इन कोल माफियाओं के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(तारा0)–08/2024 401 /एम०, राँची, दिनांक:– 28/02/24

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2686 दिनांक–19.02.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.2024

177

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछे जाने वाले
तारांकित प्रश्न संख्या जा–06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के 42.16 प्रतिशत लोग गरीब हैं, जो पूरे देश में बिहार (51.91%) के बाद सर्वाधिक है;	विभाग से संबंधित नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष–2022 में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की शुरुआत करने के बाद इसे 125 यूनिट तक बढ़ाने की कवायद चल रही है;	इस संबंध में ऊर्जा विभाग की संचिका सं०–3/उ०वि०–02/22 के माध्यम से दिनांक–23.02.2024 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य में एक बड़ी आबादी गरीब तबके की है, जो बिजली बिल दे पाने में भी असमर्थ हैं;	विभाग से संबंधित नहीं है।
4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस प्रकार का कोई मामला सम्प्रति विभाग के विचाराधीन नहीं है। दिनांक–23.02.2024 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त की गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 449 / दिनांक 01/03/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।